(9) The National Executive Committee shall invite, the Secretary or Additional Secretary, as the case may be, of the National Authority, as a special invitee to attend its every meeting.

(10) The National Executive Committee shall forward the minutes of every meeting to the National Authority.

4. Allowances to be paid to a person associated as an expert with a sub-committee of the National Executive Committee.—A member of the sub-committee constituted under Sub-section (1) of Section 9, shall be paid travelling and daily allowances as are admissible to non-officials attending the meetings of committees set up by the Central Government, as specified in Appendix 2 to Supplementary Rule 190.

[F. No. 30/9/2005-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 598(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उप-धारा (1) के साथ पठित उसकी उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) ''सलाहकार समिति'' से धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) ''सदस्य'' से धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;

(घ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) ''उपाध्यक्ष'' से धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है।

3. वेतन और सेवाशर्तें .—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करने के अपने विकल्प का प्रयोग करेगा,—

(क) भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय वेतन (सेवानिवृत्त अधिकारी की दशा में पेंशन घटाकर), मंहगाई भत्ता, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत और केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी सेवक को अनुज्ञेय छुट्टी; या

(ख) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) के अधीन बनाए गए मंत्रीगण (भत्ते, चिकित्सा उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के उपबंध के अनुसार संघ के राज्य मंत्री को अनुज्ञेय वेतन, दैनिक भत्ता और संघ के राज्य मंत्री को अनुज्ञेय पेंशन (सेवानिवृत्त अधिकारी की दशा में महंगाई राहत के बिना), आवास, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा भत्ता तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अस्थायी सरकारी सेवक को अनुज्ञेय छुट्टी किन्तु छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा के बिना:

परंतु यदि विकल्प का एक बार प्रयोग कर लिया जाता है तो वह अंतिम होगा।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का सदस्य जो धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाता है, संघ के उस मंत्री को, जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, अनुज्ञेय वेतन और दैनिक भत्ते और पेंशन (महंगाई राहत के बिना) तथा ऐसे सदस्य की दशा में जो सेवानिवृत्त अधिकारी है, मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) के अधीन बनाए गए मंत्रीगण (भत्ते, चिकित्सा उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के उपबंध के अनुसार संघ के कैबिनेट मंत्री को अनुज्ञेय आवास, चिकित्सा सुविधाओं, यात्रा भत्ता का हकदार होगा।

4. निरर्हताएं .—ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा, जो-

(क) न्यायनिर्णित दिवालिया है या किसी समय रहा है ; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया है ; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने से असमर्थ हो गया है; या

(घ) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है या किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिकअधमता अंतर्वलित है; या

(ङ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटाया या पदच्युत किया जाता है अथवा हटा दिया गया या पदच्युत कर दिया गया है।

5. त्यागपत्र .—राष्ट्रीय प्राधिकरण का कोई सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य के पद से त्यागपत्र राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आशय की अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना देकर दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको ऐसी सूचना राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाती है।

6. रिक्तियां .—जहां राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य के पद पर त्यागपत्र, निरर्हता, मृत्यु या अन्य कारण से कोई रिक्ति होती है तो उक्त रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जा सकेगी।

7. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति के सदस्य को संदत्त किए जाने वाले भत्ते.—धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित सलाहकार समिति के सदस्य को

ऐसे यात्रा भत्तों, कमरा किराए, दैनिक भत्तों और प्रवहण भत्ते का संदाय किया जाएगा जो पूरक नियम 190 के परिशिष्ट-2 में यथाविनिर्दिष्ट उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्य को अनुज्ञेय है।

[फा. सं. 30/9/2005-एनडीएम. 3(ए)]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (d) of Sub-section (2) read with Sub-section (1) of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) "advisory committee" means the advisory committee constituted by the National Authority under Sub-section (1) of Section 7;

(c) "member" means a member of the National Authority nominated by the Chairperson of the National Authority under clause (b) of Sub-section (2) of Section 3;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson designated by the Chairperson of the National Authority under sub-section (3) of Section 3.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Pay and service conditions.**— (1) A person nominated as a member of the National Authority shall exercise his option to choose either,—

(a) Pay (less pension in the case of a retired officer), dearness allowance, accommodation, medical facilities, travelling allowance, leave travel concession as admissible to a Secretary to the Government of India and leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972; or

(b) pay, daily allowance as admissible to a Union Minister of State and pension (without dearness relief in the case of retired officer), accommodation, medical facilities, travelling allowance as admissible to a Union Minister of State in accordance with the provision of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and Other Privileges) Rules, 1957, made under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), and leave as admissible to a temporary Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, but without the facility of leave travel concession :

Provided that the option once exercised shall be final.

(2) A member of the National Authority, who is designated as the Vice-Chairperson of the National Authority under Sub-section (3) of Section 3, shall be entitled to pay and daily allowance, as admissible to a Union Minister, who is a member of the Cabinet, and pension (without dearness relief) and in the case of member who is a retired officer, accommodation, medical facilities and travelling allowance as admissible to a Union Cabinet Minister in accordance with the provisions of the Ministers (Allowances, Medical Treatment and Other Privileges) Rules, 1957, made under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952).

4. **Disqualifications.**— No person shall be a member of the National Authority, who —

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent; or

(b) is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(c) becomes incapable of acting as a member; or

(d) is, or has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude.

(e) is, or has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government.

5. **Resignation.**— Any member of the National Authority may resign from the office of member of the National Authority by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the National Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson of the National Authority.

6. **Vacancies.**— Where a vacancy occurs in the office of a member of the National Authority by reason of resignation, disqualification, death or otherwise, the vacancy may be filled by fresh nomination.

7. **Allowances to be paid to a member of the Advisory Committee constituted by the National Authority.**— A member of the Advisory Committee constituted under Sub-section (1) of Section 7 shall be paid such travelling allowances, room rent, daily allowances and conveyance allowance as are admissible to a member of the High Power Committee as specified in Appendix-2 to Supplementary Rule 190.

[F.No.30/9/2005-NDM. III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2014/श्रावण 8, 1936
No. 393] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2014/SHRAVANA 8, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 544(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा की शर्तों तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 का आंशिक उपान्तरण करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि सेवा की शर्तों तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा की शर्तों तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 के नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा :

"**5(क) हटाया जाना.**—यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा किया जाना समीचीन समझे, तो वह किसी भी समय, राष्ट्रीय प्राधिकरण के किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगी।"

[फा. सं. 44–23 / 2014–एन.डी.एम.–II]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 598(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2014

G.S.R. 544 (E).— In exercise of the powers, conferred by the sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government, in partial modification of Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the National Disaster Management Authority (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Disaster Management Authority (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006, after Rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

"5A. – Removal.–If the Central Government deems it expedient so to do, it may remove from office any member of the National Authority, at any time."

[F. No. 44-23/2014-NDM-II]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 598(E), dated the 27th September, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 669(अ).—केंद्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**3. वेतन और सेवा शर्तें**—(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, ऐसे वेतन (सेवा निवृत्त अधिकारी की दशा में पेंशन को घटाकर), महंगाई भत्ते, आवास, चिकित्सा सुविधाओं, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है और ऐसी छुट्टी का हकदार होगा, जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी सेवक को अनुज्ञेय है ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का कोई सदस्य, जिसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया गया है, ऐसे वेतन (सेवा निवृत्त अधिकारी की दशा में पेंशन को घटाकर), महंगाई भत्ता, आवास, चिकित्सा सुविधाओं, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो मंत्रिमंडल सचिव को अनुज्ञेय है ।"।

[फा. सं. 44-23/2014-एन.डी.एम.-II]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 598(अ), तारीख 27 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 544(अ), तारीख 30 जुलाई, 2014 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2014

G.S.R. 669(E).—In exercise of the powers, conferred by the sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), hereinafter referred as Act, the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Second Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. **Pay and service conditions.**—(1) A person nominated as a member of the National Authority shall be entitled the pay (less pension in the case of a retired officer), dearness allowance, accommodation, medical facilities, travelling allowance, leave travel concession as admissible to a Secretary to the Government of India and leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(2) A member of the National Authority who is designated as the Vice-Chairperson of the National Authority under sub-section (3) of Section 3 of the Act, shall be entitled to pay (less pension in the case of a retired officer), dearness allowance, accommodation, medical facilities, travelling allowance, leave travel concession as admissible to the Cabinet Secretary."

[F.No. 44-23/2014-NDM-II]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 598(E), dated the 27th September, 2006 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 544(E), dated the 30th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.